



Neutral Citation No. 2026:AHC:4554

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 13 / 2026

श्रीमती शंकरदाई

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

सुरेश सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता को सुना गया।
2. यह याचिका प्रत्यर्थी सं. 2 / सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद प्रयागराज को यह निर्देश देने के लिए परमादेश हेतु दायर की गई है कि वे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333 के अंतर्गत पुनरीक्षण सं. 96 201213 (रामसवारी बनाम शंकरदाई) का विनिश्चय निर्धारित समय सीमा के भीतर करें।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर की गई उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद के समक्ष वर्ष 20122013 से ही लंबित है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि इस मामले की कार्यवाही तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है यह दर्शाने के उद्देश्य से मामले की आदेशपत्र की एक प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न की गई है।
4. मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत उपर्युक्त मामले का निर्णय उसके गुणदोष के आधार पर शीघ्रतापूर्वक करे अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर।
5. तदनुसार रिट याचिका का अंतिम रूप से **निस्तारण** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

8 जनवरी 2026

रमीज़

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"